रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3

PART I—Section 3

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 15, 2019/आषाढ़ 24, 1941

No. 03] NEW DELHI, MONDAY, JULY 15, 2019/ASHADHA 24, 1941

गृह मंत्रालय

(पूर्वोत्तर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2019

सं. 11012/04/2019-एनई-VI.—जबकि असम समझौते के खण्ड 6 के संबंध में अधिसूचना संख्या 11012/06/1995-एनई-IV के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस उच्च स्तरीय समिति का अब पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है जिसकी संरचना निम्नवत है:

I.	न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) बिप्लब कुमार सरमा पूर्व न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय	-	अध्यक्ष
II.	श्री रमेश बोरपात्रागोहेन, एडवोकेट जनरल, असम	-	सदस्य
III.	श्री निलॉय दत्ता, एडवोकेट जनरल, अरुणाचल प्रदेश	-	सदस्य
IV.	श्री सुभाष दास, आईएएस (सेवानिवृत्त)	-	सदस्य
V.	श्री पल्लव भट्टाचार्य, आईपीएस (सेवानिवृत्त)	-	सदस्य
VI.	डॉ. श्री सृष्टीधर दत्ता, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त)	-	सदस्य
VII.	श्री सुमन्ता चालीहा, लेखक और स्तम्भकार	-	सदस्य
VIII.	डॉ. जयकांता शर्मा, प्रोफेसर और स्तम्भकार	-	सदस्य
IX.	श्री वासबीर हुसैन, वरिष्ठ पत्रकार	-	सदस्य
X.	डॉ. सामुज्जल भट्टाचार्य, मुख्य सलाहकार, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (एएएसयू)	-	सदस्य

XI.	श्री दिपंका कुमार नाथ, अध्यक्ष, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (एएएसयू)	-	सदस्य
XII.	श्री ल्युरिनज्योती गोगोई, महामंत्री, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (एएएसयू)	-	सदस्य
XIII.	संयुक्त सचिव, पूर्वोत्तर, गृह मंत्रालय	-	सदस्य सचिव

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(क) समिति असम समझौते के खण्ड 6 को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1985 से की गई कार्रवाइयों की प्रभावकारिता की जांच करेगी।

(ख) समिति सामाजिक संगठनों, विधिक और संवैधानिक विशेषज्ञों, कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र के सुविख्यात व्यक्तियों, संरक्षणवादियों, अर्थशास्त्रियों, भाषाविदों तथा समाजशास्त्रियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी।

(ग) समिति असमिया लोगों के लिए असम विधान सभा तथा स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण के समुचित स्तर का आकलन करेगी।

(घ) समिति असमी और असम की अन्य स्थानीय भाषाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए किए जाने वाले उपायों का भी सुझाव देगी।

(ड.) समिति असमिया लोगों के लिए असम सरकार के अंतर्गत रोजगार में आरक्षण के उपयुक्त स्तर की सिफारिश करेगी।

(च) समिति असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान और विरासत को सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित के लिए आवश्यक अन्य उपायों का सुझाव देगी।

3. समिति अधिसूचना की तारीख से छ: महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4. समिति को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वोत्तर प्रभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

5. असम राज्य सरकार समिति को आवश्यक प्रशासनिक और संभारतंत्र सहायता प्रदान करेगी।

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(North East Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2019

No.11012/04/2019-NE.VI.—Whereas, a High Level Committee was constituted vide Notification No. 11012/06/1995-NE.IV in respect of Clause 6 of Assam Accord, it has now been decided to reconstitute the High Level Committee comprising the following:

(i)	Justice (Retd.) Biplab Kumar Sarma, Former Judge, Gauhati High Court	-	Chairman
(ii)	Shri Ramesh Borpatragohain, Advocate General, Assam	-	Member
(iii)	Shri Niloy Dutta, Advocate General, Arunachal Pradesh	-	Member
(iv)	Shri Subhash Das, IAS (Retd.)	-	Member
(v)	Shri Pallav Bhattacharya, IPS (Retd.)	-	Member

(vi)	Dr. Srishtidhar Dutta, Professor (Retd.)	- Member
(vii)	Shri Sumanta Chaliha, Author & Columnist	- Member
(viii)	Dr. Jaikanta Sharma, Professor & Columnist	- Member
(ix)	Mr. Wasbir Hussain, Senior Journalist	- Member
(x)	Dr. Samujjal Bhattacharya, Chief Adviser, All Assam Student Union (AASU)	- Member
(xi)	Shri Dipanka Kumar Nath, President, All Assam Student Union (AASU)	- Member
(xii)	Shri Lurinjyoti Gogoi, General Secretary, All Assam Student Union (AASU)	- Member
(xiii)	Joint Secretary, North East, MHA	- Member Secretary

2. The Terms of Reference for the Committee are as under:-

(a) The Committee will examine the effectiveness of actions taken since 1985 to implement Clause 6 of the Assam Accord.

(b) The Committee will hold discussions with various stakeholders including social organizations, legal and constitutional experts, eminent persons from the field of art, culture and literature, conservationists, economists, linguists and sociologists.

(c) The Committee will assess the appropriate level of reservation of seats in Assam Legislative Assembly and local bodies for the Assamese people.

(d) The Committee will also suggest measures to be taken to protect Assamese and other indigenous languages of Assam.

(e) The Committee will recommend the appropriate level of reservations in employment under the Government of Assam for the Assamese people.

(f) The Committee may suggest any other measures as may be necessary to protect, preserve and promote cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people.

3. The Committee will submit its report within 6 months from the date of notification.

4. The Committee will be serviced by the NE Division of MHA, Government of India.

5. The State Government of Assam will provide necessary administrative and logistic support to the Committee.

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.15 23:10:33 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 3
PART I—Section 3
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 2019/श्रावण 8, 1940
No. 04] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 2019/SHRAVANA 8, 1940

गृह मंत्रालय
(पूर्वोत्तर प्रभाग)
शुद्धि-पत्र - जोड़ा जाना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2019

सं.11012/04/2019-एन ई-VI.—दिनांक 15.07.2019 की अधिसूचना संख्या 11012/04/2019-एनई-VI में विस्तार के रूप में, असम समझौते के खण्ड 6 पर गठित उच्च स्तरीय समिति में एतद्वारा निम्नलिखित नाम जोड़ा जाता है :

प्रोफेसर मृणाल मिरि - सदस्य

पूर्व संसद सदस्य (राज्य सभा)

2. अधिसूचना के अन्य ब्यौरे यथावत रहेंगे।

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(NORTH EAST DIVISION)
ADDENDUM

New Delhi, the 30th July, 2019

No. 11012/04/2019-NE.VI.—As an addendum to the Notification No. 11012/04/2019-NE.VI dated 15.07.2019, the following name is hereby included in the High Level Committee on Clause 6 of Assam Accord:

Prof. Mrinal Miri, - Member

Former MP (Rajya Sabha)

2. The other details of the Notification will remain same.

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

3909 GI/2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.31 22:04:01 +05'30'